

जज अदालत - सम्बन्ध अधिकारी गढी

जिला बांसवाड़ा

पत्रावली

बनाम कुरीदा पितर प्रोकेज गरीदर

किस नुम्बर -

जिगली 33का

84-86 RTA

प्रकरण संख्या /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
28/3/18	<p>पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी <u>गरीदर</u> पिता <u>गरीदर</u> जाति <u>गरीदर</u> निवासी <u>गरीदर</u> ने अन्तर्गत धारा <u>84-84</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी <u>कुरीदा</u> पिता <u>प्रोकेज गरीदर</u> निवासी <u>गरीदर</u> के विरुद्ध श्रावण/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक <u>30/4/18</u> को पेश हो।</p>	
30.4.18	<p>उपज <u>गरीदर</u> अधिकारी गढी, जिला बांसवाड़ा</p> <p>पत्रावली पेश हुई। भद्राक्षी उपस्थित। भीमान प.०. साइब अन्वय श्रावण कार्य में व्यस्त। पत्रावली दिनांक 30.4.18 को पेश हो।</p>	
9.5.18	<p>पत्रावली श्रावण लोक अदालत भद्राक्षी के श्रावण पेश हुई। भद्राक्षी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वासी भद्राक्षी दिनांक 5.5.18 को पेश हो।</p>	<p>अभिप</p>
5.5.18	<p>पत्रावली श्रावण लोक अदालत भद्राक्षी के श्रावण पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्रावण में भद्राक्षी द्वारा श्रावण के पेश किये जाने के फलस्वरूप प्रतिपक्ष 100/- रु० की दर से 300/- रु० के दण्ड से दण्डित किया जाकर मोका फर्मा के वरिष्ठ अदालत 10,000/- रु० के अदालत गिजली का भद्राक्षी दिनांक 5.5.18 को पेश हो।</p>	